जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: प-( )जविप्रा/अं.भा.भूमि/06/को 51 दिनांक : 10/5/06

कार्यवाही-विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 31 वीं बैठक दिनांक: 10.5.06 को प्रात: 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय् की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी जिसमे भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची 'अ' पर संलग्न है । बैठक मे विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्रं. सं.	जोन संख्या	प्रस्ताव सं0	प्रस्ताव का विवरण	निर्णय	जिसके द्वारा क्रियान्वित की जानी है
1.		31:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 30 वी बैठक दिनांक: 1.5.06 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत ।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 30 वीं बैठक दिनांक: 1.5.06 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया । "प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 30 वी बैठक मे लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने के बाबत् जयपुर विकास आयुक्त महोदय के द्वारा सम्बन्धित ज्ञापित किया गया ।"	
2.	8	31:2	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण की 30 वी बैठक के एजेण्डा नं. 30:9(3) के पैरा 2 मे संशोधन के अनुमोदन बाबत ।	"भूमि एवं सम्पत्ति समिति की 30 वी बैठक दिनांक: 1.5.06 को अतिरिक्त एजेण्डा आईटम नं. 30:9(3) के पैरा 2 मे आंशिक संशोधन कार्यवाही विवरण क्रमांक: 38, दिनांक: 4.5.06 द्वारा जारी किये गये, का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया"	

3.	9	30:3	पूर्व समिति की बैठक के एजेण्डा सं. 30:9(3) पैरा संशोधन की वाबत् ।	30 वी सं. 2 मे स्वीकृति	भूमि एवं सम्पत्ति समिति की 30 वी बैठक दिनांक: 1.5.06 को अतिरिक्त एजेण्डा आईटम नं. 30:9(3) के पैरा 2 मे जांन उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित किया गया कि "ग्राम खुसर के खसरा नं. 1/0.85 हैक्टेयर के स्थान पर 1/15.85 हैक्टेयर पढ़ा जावे : ग्राम खुसर के खसरा नं. 2/0.11 हैक्टेयर भूलवश रह गया था, को शामिल किये जाने एवं कुल क्षेत्रफल 36.73 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर 35.73 हैक्टेयर पढ़ा जावे" बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधन का अनुमोदन किया गया ।

	S.	12	315	नवसृजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चौमू, जयपुर की स्थापना हेतु भूमि आवंटन बाबत।	निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर 27वीं एल.पी.सी. की बैठक दिनांक: 27.2.06 द्वारा "उपायुक्त के प्रस्ताव अनुसार ग्राम नीदड़, तहसील आमेर के खसरा नं. 178 रकबा 8.61 हैक्टेयर में से 8 एकड़ भूमि राज्य सरकार के आदेशानुसार आदेश दिनांक: 14.2.05 की अनुपालना में नि:शुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया था" समिति द्वारा जांच के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर उक्त आवंटन को निरस्त कर जांच के ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमू के खसरा नं. 859/2370, 865, 860/2372, 861/2374, 862/2576, 864/2200/2208, 864, 2207, 1001/2407, 1002/2408, 004/2411 कुल किता 10 रकबा 6.18 हैक्टेयर में से 10 बीघा भूमि नि:शुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
	6.	12	316	सीनियर सिटीजन, कॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी लि. गुड़गांव को 100 सदस्यों हेतु भूमि आवंटन करने बाबत्।	श्री के.के.लूथरा, मानद सचिव, सीनियर सिटीजन कॉपरेटिव ग्रुप हाउसिंग लि. सोसायटी द्वारा सीनियर सिटीजन के सदस्यों को भूखण्ड आवंटन हेतु 10 एकड़ भूमि आवंटन किये जाने का निवेदन किया गया है, जांच उपायुक्त के प्रस्ताव पर समिति ने विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया कि संस्था से नियमानुसार दस्तावेज पूर्ण करवाये जाकर एवं भू-उपयोग परिवर्तन कर आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।

7.	12	31:7	डॉ. बी.आर.सांवी के एस. के.फार्महाउस, ग्राम मांचवा को रास्ते हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।	डॉ. बी.आर.सांवी के एम.के.फार्महाउस, ग्राम मांचवा को रास्ते हेतु भूमि आवंटन के प्रकरण पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि प्रकरण पूर्ण तथ्यों सहित राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे ।
8.	12	31:8	एयरफोर्स नेथल हाउसिंग बोर्ड (ए.एफ.एन.एच.बी.)को आवासीय कॉलोनी हेतु भूखण्ड आवंटन बाबत ।	एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड द्वारा सेवारत एवं सेवानिवृत कार्मिकों को रहवास हेतु 5 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने का निवेदन किया गया है. इस पर जोन के प्रस्ताव अनुसार ग्राम अनंतपुरा, तहसील बीमूं के खसरा नं. 1081, 1082, 1084, 1056, 1057, 1060, 1204, 1205, 1206/2 कुल किता 10 रकबा 9.65 हैक्टेयर भूमि में से 5 एकड़ भूमि वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।
9.	11	अति0 एजेण्डा 31:8(1)	अमर बाल विधालय शिक्षा समिति को ग्राम मदाउ तहसील सांगानेर में भूमि आवंटन के क्रम में ।	अमर बाल विधालय शिक्षा समिति द्वारा महाविधालय, खातीपुरा हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है, जिस पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि जोन के प्रस्ताव अनुसार ग्राम मदाउ, तहसील सांगानेर में खसरा नं. 331 एवं 330 कुल 0.48 हैक्टेयर भूमि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक: 14.2.05 के अनुसार आवंटन करने का निर्णय लिया गया

10.	12	अति0 एजेण्डा 31:8(2)	राजस्थान प्रशासनिक सेवा व नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जेडीए की आवासीय योजनाओं में भूखण्ड उपलब्ध कराने बाबत ।	राजस्थान प्रशासनिक सेवा व नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भूखण्ड आवंटन हेतु पूर्व एल.पी.सी. की 30वीं बैठक दिनांक: 1.5.06 के एजेण्डा बिन्दु सं0 30:9(2) के निर्णय में कॉर्नर भूखण्डों को छोड़कर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था, जिस पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कॉर्नर भूखण्डों का आवंटन करने का निवेदन किया गया, जिस पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि कॉर्नर भूखण्डों को सम्मिलित करते हुए आवंटन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावें ।
11.	11	अति0 एजेण्डा 31:8(3)	डी.एम.पी. खूंटेटा होम्यापेथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर को आवंटित भूमि के पेटे आवंटन दर तय करने बाबत ।	डी.एम.पी. खूंटेटा होम्यापेथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर को आवंटित भूमि के पेटे बाबत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को सम्पूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में रखा जावें ।
12.	1	अति0 एजेण्डा 31:8(4)	सी-स्कीम योजना में वार्ड संख्या 6 में पानी की टंकी एवं पम्प हाउस निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक में रखे जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	सी-स्कीम योजना में वार्ड संख्या 6 में पानी की टंकी एवं पम्प हाउस निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत निर्णय लिया गया कि प्रकरण का परीक्षण निदेशक (आयोजना) से कराने के पश्चात् जोन के प्रस्ताव अनुसार क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर भूमि पर आवंटन की कार्यवाही की जावें ।